कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का आरोपी सबाह अन्तुले की प्रथम जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा ख़ारिज

प्रेस विज्ञप्ती (**01/26,** दिनांक **12.01.2026)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच-02-ई.पी.-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया जाना पाया। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतरराज्यीय स्तर पर संघटित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्रकरण में गिरफ्तार तीन आरोपियों से रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीवों के शिकार में प्रयुक्त आग्नेयशास्त्र एवम कारतूस भारी मात्रा में जप्त किये गए थे।

प्रकरण में दिनाँक 27.10.2025 को कार्यवाही करते हुये उक्त गिरोह का आरोपी सबाह अन्तुले पिता सलाहुद्दीन अन्तुले, निवासी मिल्लत नगर, जोगेस्वरी, मुम्बई को मुम्बई से गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में प्रकरण में 05 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

उक्त प्रकरण में आरोपी सबाह द्वारा प्रथम जमानत याचिका BA 95/2025 माननीय सत्र न्यायालय इंदौर में दायर की गयी थी। जिसे माननीय सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई इंदौर द्वारा की गई सटीक विवचेना एवं रखा गए ठोस पक्ष के आधार पर खारिज की गई। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल